

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक:- प.10(32) आयु./2018

दिनांक:-29.07.2020

आदेश

वित्त(नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(6)वित्त/नियम/1998 दिनांक के अनुदेशों के तहत वर्ष 2021 में होम्योपैथिक विभागान्तर्गत निम्न वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-2 द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम चिकित्साधिकारी	पिता/पति का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म दिनांक	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	श्रीमती साधना शर्मा	रामगोपाल	वरि. होम्यो. चिकि. ग्रेड-2	राज. होम्यो. औष. गांधीनगर. जयपुर	जयपुर	06.01.61	31.01.21
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह तडागी	देवी सिंह तडागी	वरि. होम्यो. चिकि. ग्रेड-2	पद विरुद्ध कार्यरत उपनिदेशक, निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर	जयपुर	15.07.61	31.07.21

प्रमाण पत्र

- 1.राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है/लम्बित नहीं है।
- 2.राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है/लम्बित नहीं है।
- 3.कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से
एस.डी
(आर.पी.चतुर्वेदी)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर


आयुष भवन, सेक्टर-26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति-1/ हो.चि./से.नि./2017/5365

दिनांक:- 4-9-2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आदेश क्रमांक प.10 प.10(32) आयु./2018 दिनांक 29.07.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान- जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी विभाग, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय/औषधालय, गांधीनगर जयपुर/निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग,जयपुर।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी, डॉ. साधना शर्मा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय,गांधीनगर,जयपुर/ डॉ. सुरेन्द्र सिंह तडागी, उपनिदेशक, निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर को दी जाकर लेख है कि पेंशन कुलक दो प्रतियों में, परिवार की वर्णनात्मक नामावली, बैंक खाता सं., अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में सूचना प्रपत्र एवं अन्य वांछित अभिलेख, अपने स्तर की पूर्ति कर शीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें तथा अपना समस्त चार्ज आपके अधीनस्थ कार्मिक को सौंपकर अंकित सेवा-निवृति दिनांक को मध्याह्न पश्चात सेवा निवृत्त हों एवं यदि लागू हो तो सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग की अशा. टीप क्रमांक प.14(3)साप्र/2/2016 दिनांक 20.12.2016 के अनुसार राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारी को सेवानिवृति से दो माह के भीतर राजकीय आवास को रिक्त करना होगा।
7. डॉ. जयाप्रिया बेनीवाल(नोडल अधिकारी) को दी जाकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करायें।
8. कार्यालय की लेखा शाखा/स्टोर शाखा/कैश शाखा/ सामान्य शाख/विधि शाखा/प्रतिष्ठापन शाखा-2।
9. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक